न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

लूणी (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अयूब खां आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 78/15

वादीगण :–

1. गोरधन सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
2. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री दोलतसिंह
3. जसवन्त सिंह पुत्र श्री दौलतसिंह
4. पूनमसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह
5. अनेक कंवर पुत्री श्री दौलतसिंह
6. मूमल कंवर पुत्री श्री दौलतसिंह
7. रतनसिंह पुत्र श्री माधोसिंह
8. श्रीमती भीक कंवर पत्नी श्री लिछमण सिंह

सभी जातियान् राजपूत निवासीगण भाण्डू कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी गण :–

1. श्रीमती सुगन कंवर पत्नी श्री हेमसिंह
2. मांगूसिंह पुत्र श्री हेमसिंह
3. लादुसिंह पुत्र श्री हेमसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण भाण्डू कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.

:: निर्णय :–

दिनांकः 11/01/2018

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाब सिंह चम्पावत एवं श्री ईश्वरसिंह

प्रतिवादी संख्या 01 व 03 एकतरफा

प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 407 रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम चावड़ों की ढ़ाणी (नन्दवान) तहसील लूणी, जिला जोधपुर मे उक्त भूमि आयी हुई हैं, उक्त मुतनाजा आराजी में मृतक भोपालसिंह के वारिसान् वादीगण का संयुक्त रूप से उक्त सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्साबनता है, मृतक माधोसिंह के वारिसान् रतनसिंह वगैरा वादीगण का संयुक्त रूप से उक्त सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा बनता है। जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से दर्ज है। रेवेन्यु रेकर्ड जमाबन्दी में बेरीसालसिंह के वारिसान् के रूप में भोपालसिंह व माधोसिंह के साथ हेमसिंह का भी संयुक्त सह खातेदारी दर्ज हो गई, जबकि हेमसिंह सह खातेदार हमीरसिंह के गोद चले गयें, वो इस कारण उक्त मुतनाजा आराजी में हेमसिंह का तथा हेमसिंह के वारिसानों का हक व अधिकार नहीं रहा। उक्त मुतनाजा आराजी में संयुक्त सह खातेदारी हेमसिंह के गोद चले आने के बाद में सम्पूर्ण संयुक्त सह खातेदारी भोपालसिंह व माधोसिंह के नाम ही रही, तथा उनकी मृत्यु होने के बाद भोपालसिंह के वारिसान् व माधोसिंह के

11/01/2018
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

वारिसान् कासंयुक्त रूप से सम्पूर्ण भूमि में बराबर–बराबर हक व हिस्सा रहा। रेवेन्यु रेकर्ड जमाबन्दी में संयुक्त सह खातेदारी दर्ज है। इस कारण हेमसिंह का नाम हटाने के लिए उक्त मुतनाजा आराजी में सम्पूर्ण भूमि में वदीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के लिए वादीगण ने खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया, वादीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि म्यूटेशन संख्या 78 हेमसिंह के फौत होने पर उनके जायन्दा पुत्रगण मांगुसिंह व लादूसिंह व उनकी पत्नी श्रीमती सुगन कंवर के नाम खातेदारी दर्ज हुई, उक्त म्यूटेशन के कॉलम नम्बर 14 में हेमसिंह को हमीरसिंह का गोद पुत्र बताया है। उक्त इन्द्रांज से भी स्पष्ट ताईद होता है कि हेमसिंह हमीरसिंह का गोद पुत्र है। म्यूटेशन संख्या 92 सह खातेदारों के बीच आपस में बंटवाड़े के आधार पर उक्त म्यूटेशन स्वीकार किया गया। म्यूटेशन के कॉलम नम्बर 11 में नाथुसिंह फतेहसिंह वा हेमसिंह तीनों के बीच अलग–अलग बंटवाड़ा करते हुए अलग–अलग हक व हिस्सा दर्शाते हुए स्वीकृत किया गया, हेमसिंह हमीरसिंह को गोदपुत्र दर्शाते हुए बंटवाड़े का म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। उक्त इन्द्रांज से भी स्पष्ट ताईद होता है कि हेमसिंह हमीरसिंह का गोद पुत्र था, इस कारण हेमसिंह हमीरसिंह का गोद पुत्र होने के नाते उक्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं बनता है। हेमसिंह का देहान्त हो चुका है, इस कारण उनके वारिसानों के नाम सहखातेदारी दर्ज नहीं करके वादीगण के नाम बराबर–बराबर संयुक्त सह खातेदारी दर्ज की जावें।

अन्त में वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही की वाद वादीगण बहक प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, संयुक्त सह खातेदारी की भूमि में से हेमसिंह का नाम हटाया जावें।

11/01/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गयें, प्रतिवादीगण संख्या 01 से स्वयं तामिल तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 का समन बार–बार भेजे जाने पर चस्पा रिपोर्ट प्राप्त व भाई से तामील, लेकिन अनुपस्थित दोनो प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जावें, तथा प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद अनुपस्थित वादीगण की ओर से दावे के साथ जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 प्रदर्श–1 पेश की गई, व नामान्तरकरण संख्या 78 प्रदर्श–2 नामान्तरकरण संख्या 92 तथा हेमसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया, तथा इसके साथ–साथ वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र गोरधनसिंह, हीराराम व धन्नाराम का पेश किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया कि हेमसिंह बेरीसालसिंह के वारिसान् नहीं रहें, क्योंकि हेमसिंह हमीरसिंह के गोद चले गऐं थे। म्यूटेशन संख्या 78 हेमसिंह के देहान्त होने पर उनके वारिसान् के नाम म्यूटेशन स्वीकृत किया गया। उक्त म्यूटेशन के कॉलम नम्बर 14 में हेमसिंह को हमीरसिंह का गोद पुत्र बताया है। उक्त रेवेन्यु रेकर्ड से भी स्पष्ट ताईद होता है। हेमसिंह हमीरसिंह का गोद पुत्र हैं, तथा म्यूटेशन नम्बर 92 से स्पष्ट ताईद है कि उक्त म्यूटेशन बंटवाड़ा का भरा गया है। इससे भी हेमसिंह को हमीरसिंह का गोद पुत्र दर्शाया गया है। रेवेन्यू रेकर्ड व दस्तावेज साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट ताईद होता है कि हेमसिंह हमीरसिंह का गोद पुत्र है। हिन्दू दत्तक अधिनियम की धारा 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि

11/1/2018

गोदपुत्र के प्राकृतिक पिता के हक की भूमि में कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस कारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार हेमसिंह का प्राकृतिक पिता बेरिसालसिंह की भूमि में कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं रखकर गोद पिता की भूमि में हक व अधिकार रहेगा, वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य होने से डिक्री किया जाकर खेत खसरा नम्बर 407 रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम चावड़ों की ढ़ाणी (नन्दवान) तहसील लूणी, जिला जोधपुर का वादीगण को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है, तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हेमसिंह के वारिसान का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार लूणी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

11/1/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 11/1/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/1/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.